(ख) और (ग) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा जारी किए गए घरेलू खपत व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण डाटा का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाता है। 1980 में गरीबी के अनुमान 1983 (एन एस एस 38वां दौर) और 1987-88 (एन एस एस 43वां दौर) में किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता 1983-84 में 40.4 प्रतिशत से गिरकर 1987-88 में 33.4 प्रतिशत हो गई। बाद के वर्षों के लिए गरीबी के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 1993-94 (एन एस एस 50वां दौर) के लिए घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण किया है।

उपभोक्ता मंच की शक्तियां

2135. **श्री रामजीलाल:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता मामलों के संबंध में उपभोक्ता मंचों की शक्तियां क्या-क्या हैं;

(ख) इस समय राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं और उनको कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ग) इन मामलों की अपील के संबंध में प्रावधान क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जिला मंच, उन शिकायतों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हैं, जिनमें वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य तथा क्षतिपूर्ति की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)**। जिला मंचों में कार्य के दबाव को देखते हुए ऐसी कोई तारीख, जब तक कि ये मामले निपटा लिए जाएंगे, नियत करना सम्भव नहीं है।

(ग) जिला मंच के किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य आयोग में अपील दायर कर सकता है।

विवरण

विभिन्न राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में अनिर्णीत पड़े मामले दर्शाने वाला विवरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग		जिला मंच	
	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	अनिर्णीत अपीलों की संख्या	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	निम्नलिखित को समाप्त अवधि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	748	961	12965	30.9.95
अरुणाचल प्रदेश	5	6	9	31.3.95
असम	244	140	1582	30.6.95
बिहार	273	1012	9685	30.6.95
गोवा	21	38	615	30.9.95

1	2	3	4	5
गुजरात	529	293	16156	31.3.95
हरियाणा	53	1053	9020	30.9.95
हिमाचल प्रदेश	161	758	1248	30.6.95
जम्मू और कश्मीर	32	10	237	31.12.94
कर्नाटक	454	1003	11008	31.3.95
केरल	335	1495	8072	30.6.95
मध्य प्रदेश	82	631	10941	30.6.95
महाराष्ट्र	890	2437	13881	30.6.95
मणिपुर	1	24	19	30.6.95
मेघालय	8	7	55	30.6.95
मिजोरम	0	0	7	30.6.95
नागालैण्ड	4	0	7	30.9.94
उड़ीसा	555	932	4041	30.6.95
पंजाब	120	7	3859	30.9.94
राजस्थान	2737	2773	11984	30.9.95
सिक्किम	0	0	8	30.6.95
तमिलनाडु	270	689	8600	30.6.95
त्रिपुरा	4	14	168	31.3.95
उत्तर प्रदेश	850	6226	38434	31.12.94
पश्चिम बंगाल	2110	272	13979	30.9.95
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6	4	11	30.9.95
चंडीगढ़	263	57	2912	30.6.95
दादरा व नगर हवेली	0	0	9	31.12.94
दमण व दीव	0	0	16	30.9.94
दिल्ली	951	1144	9315	30.9.95
लक्षद्वीप	0	0	1	30.6.95
पांडिचेरी	7	3	209	30.9.95
योग:	11713	21989	189053	

भारतीय खाद्य निगम के तहत उच्च-स्तरीय समिति

2136. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के तहत एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था जो खाद्यान्नों के आयात और निर्यात के संबंध में भी निर्णय लेती है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इन सदस्यों को समिति में चुनते समय क्या मानदंड अपनाया गया;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा हाल ही के महीनों में किये गये निर्यात के कारण निगम को लगभग 200 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और